प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 16.06.2025**

❖ **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु दहेज हत्या की घटना से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

❖ **थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0029/2025 धारा 85/80(2)/238/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 23.01.2025 को वादी श्री मधुवन यादव पुत्र श्री गंगाप्रसाद निवासी कसदहा खुझिया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना रसूलाबाद पर तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री के ससुरालीजन द्वारा दहेज को लेकर वादी की पुत्री की हत्या कर दी गयी है, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 0029/2025 धारा 85/80(2)/238/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 07 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त भोलू उर्फ निखिल उर्फ श्रीकान्त पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम बर्रा-ठर्रा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 25 वर्ष को आज दिनांक 16.06.2025 को समय 13.00 बजे अभियुक्त के घर ग्राम बर्रा ठर्रा थाना रसूलाबाद से गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त कृष्णकान्त यादव उर्फ गोलू पुत्र रामौतार निवासी बर्रा-ठर्रा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को पूर्व में दिनांक 18.02.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

भोलू उर्फ निखिल उर्फ श्रीकान्त पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम बर्रा-ठर्रा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार
2. हे0का0 295 इन्द्रेश कुमार
3. का0 829 अर्जुन सिंह